सुविधाओं के विकास के लिए यह बोर्ड नीतियां बनाता है तथा उन नीतियों के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गाजियाबाद, गुड़गांव, मेरठ इत्यादि जगहों से रोज हजारों लोग रोजगार, व्यवसाय, इलाज कराने तथा दिल्ली एयरपोर्ट आने के लिए सड़क मार्ग का उपयोग करते हैं, परन्तु खेद की बात है कि गाजियाबाद से दिल्ली एयरपोर्ट, एम्स अस्पताल, केन्द्रीय सचिवालय आदि जगहों पर पहुंचने के लिए सड़क मार्ग पर कोई सरकारी व्यवस्था नहीं है। बरसों पहले दिल्ली के लिए स्पेशल डी.टी.सी. बसें गाजियाबाद से 15-15 मिनट पर उपलब्ध होती थीं, परंतु वह सेवा न जाने क्यों बंद कर दी गई है।

महोदय, एन.सी.आर. प्लानिंग बोर्ड ने गाजियाबाद से दिल्ली के लिए सड़क यातायात के लिए सरकारी बसें उपलब्ध कराने के लिए कोई भी नीति नहीं बनाई है। एक ओर जहां राजधानी दिल्ली में स्थानीय यात्रियों के लिए लो-फ्लोर वातानुकूलित बसें उपलब्ध हैं, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, विशेषकर गाजियाबाद से आने वालों के लिए सड़क मार्ग पर ऐसी कोई सरकारी व्यवस्था नहीं है। मेरा इस संबंध में सुझाव है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र प्लानिंग बोर्ड गाजियाबाद-दिल्ली सड़क यातायात के लिए सरकारी बसों को उपलब्ध कराने हेतु एक व्यापक नीति बनाये और इसके लिए समुचित वित्तीय व्यवस्था भी करे।

महोदय, मेरी मांग है कि रेल की तरह सड़क मार्ग पर गाजियाबाद से दिल्ली आने-जाने के लिए वातानुकूलित बसों की तथा लो-फ्लोर आरामदायक बसों की व्यवस्था एन.सी.आर. बोर्ड सुनिश्चित करे और सुबह 05.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक दिल्ली एयरपोर्ट, केन्द्रीय सचिवालय, एम्स/सफदरजंग अस्पताल इत्यादि स्थानों के लिए नियमित बस सेवा उपलब्ध कराने की व्यवस्था करे। धन्यवाद।

Demand to take effective measures to reduce Maternal Mortality Rate in the Country

श्री अवतार सिंह करीमपुरी (उत्तर प्रदेश): महोदय, देश में मातृत्व मृत्यु दर यानी एम.एम.आर. काफी ज्यादा है। प्रत्येक दस मिनट में बच्चे को जन्म देने वाली एक महिला की मृत्यु हो रही है। सन् 2010 की W.H.O. की रिपोर्ट के अनुसार भारत एम.एम.आर. की दृष्टि से नाईजीरिया के साथ टॉप के देशों में शामिल है। देश में वर्तमान में मातृत्व मृत्यु दर 212 प्रति एक लाख है, जो कि हमारे मिलेनियम के डेवलपमेंट गोल के 2015 के टारगेट, 109 प्रति एक लाख से बहुत ज्यादा है। विशेषज्ञों का कहना है कि जन्म देते समय जिन महिलाओं की मृत्यु हो जाती है, उनमें से 90 प्रतिशत महिलाओं को यदि पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हों, तो उन्हें बचाया जा सकता है। केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत वर्ष 2010-11 में केवल एक करोड़ तेरह लाख लाभार्थी महिलाएं थीं।

सरकार ने जननी सुरक्षा योजना के साथ Mother and Childtracking System (M.C.T.C.) भी मई, 2011 में शुरू किया है, लेकिन इन अच्छी योजनाओं को ठीक प्रकार से लागू नहीं किया जा रहा है। इसके कारण मातृत्व मृत्यु की दर ऊंची बनी हुई है।

[श्री अवतार सिंह करीमपुरी]

सरकार से मेरी मांग है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और जननी-शिशु सुरक्षा योजना को पूरे देश में तेजी के साथ फैलाया जाए और इसकी उचित रूप से मॉनिटरिंग भी की जाए, ताकि गर्भवती महिलाओं की पहचान करके, उनको पूरी चिकित्सा सुविधाएं देते हुए institutional delivery के इंतजाम किए जाएं। इसके साथ ही Mother and Childtracking System को छोटे-छोट गांवों तक पहुंचाया जाए, ताकि मातृत्व मृत्यु दर को कम किया जा सके।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The House is adjourned to meet at 12.45 p.m.

The House then adjourned at eight minutes past twelve of the clock.

The House re-assembled at forty-six minutes past twelve of the clock,
MR. CHAIRMAN in the Chair.

VALEDICTORY REMARKS

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, the 226th Session of the Rajya Sabha, which commenced on August 8th, 2012, comes to a close today. It is likely to be remembered for the work that was not done.

The data is in no need of commentary:

- Three Government Bills were passed and two others, including Constitution (117th Amendment) Bill were introduced.
- Out of 399 Starred Questions listed, only 11 could be answered orally. The Question Hour could be conducted only on one of the 19 days.
- Eight Short Notice Questions were admitted but could not be discussed.
- Three Short Duration Discussions – on increase in prices of goods and services, deficient rainfall and impending drought in various parts of the country, and problems of food security – were listed but were not taken up.
- Four Matters of Urgent Public Importance in the form of Calling Attentions were listed but could not be discussed.
- Three Half-an-Hour Discussions were listed but could not be proceeded with.
- Altogether, about 62 hours were lost on account of disruptions.